

22

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की रसीद दिया जाना, शासकीय धनराशि का जमा किया जाना, चालान प्रपत्र में संशोधन

विषय सूची			
क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के बाद प्रपत्र 385 पर रसीद जारी किया जाना	सं0-01 / XXVII(7) / 2005, देहरादून, दिनांक-14 अक्टूबर, 2005	17-18
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग 2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित प्रपत्र संख्या-43 ए को पुनरीक्षित किया जाना	सं0 597 / XXVII(1) / 2009, देहरादून, दिनांक-09 सितम्बर, 2009	19-20
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित प्रपत्र संख्या-43 ए को पुनरीक्षित किया जाना	सं0 520 / XXVII(1) / 2009, देहरादून, दिनांक-29 जुलाई, 2009	21-26

उत्तरांचल शासन
वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनुभाग-7
संख्या 01 / XXVII(7) / 2005
देहरादून: दिनांक 14 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्राविधानों के अधीन शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के बाद रसीद निर्गत करने तथा लेखांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- (1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-26 के अनुक्रम में जिस सरकारी सेवक द्वारा सरकारी राजकोष हेतु धन प्राप्त किया जाय, उसके द्वारा उक्त पुस्तिका में दिये गये प्रपत्र-1 पर रसीद निर्गत की जाय तथा उस रसीद पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करके मुहर लगायी जाय।
 - (2) वित्तीय नियम संग्रह में उल्लिखित प्रपत्र-1 को कोषागार द्वारा कोषागार प्रपत्र-385 के रूप में आहरण वितरण अधिकारी को निर्गत किये जाने की प्रक्रिया पूर्व से निर्धारित है अतः तदनुसार विभागीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से उक्त रसीद कोषागार प्रपत्र-385 पर रसीद निर्गत की जायेगी।
 - (3) इस प्रकार से प्राप्त धनराशि का विवरण लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो प्रथमतः अपनी रोकड़ बही (Cash Book) में प्रविष्टि करेंगे तथा एक सप्ताह के अन्तर्गत ऐसी धनराशि विभाग के राजस्व लेखे के सुसंगत शीर्षकों के अधीन राजकोष में जमा किया जायेगा।
- 2— उपरोक्त प्रक्रिया का स्थापित नियमों के अधीन कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राधा रत्नौड़ी
सचिव।

संख्या 01(1) / XXVII(7) / 2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. शासन के समस्त अनुभाग।
4. समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, जो सूचना के अधिकारी अधिनियम-2005 के अधीन नियुक्त हैं।
5. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी, उत्तरांचल।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को 2000 प्रतियां मुद्रण हेतु।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल एकक, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

टी०एन० सिंह
अपर सचिव।

संख्या—५९७/xxvii(1)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—1

देहरादून: दिनांक: 09 सितम्बर, 2009

विषय:— वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5, भाग—2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित प्रपत्र
संख्या—43 ए को पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर शासनादेश संख्या—520/xxvii(1)/2009
दिनांक: 29 जुलाई, 2009 के कम में शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विभागों
के अधिनियम तथा नियमावलियों में कोषागार तथा बैंक में धनराशि जमा करने के लिये
चालान का प्रपत्र निर्धारित किया गया है।

इसको दृष्टिगत रखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों में
उनके अधिनियमों तथा नियमावलियों में कोषागार तथा बैंक में धनराशि जमा करने के लिये
चालान का प्रपत्र निर्धारित है, उन विभागों में संशोधित चालान प्रपत्र संख्या—43ए (1) 43ए
(2) का प्रयोग वर्तमान में स्थगित किया जाता है। सम्बन्धित विभाग 3 माह के अन्दर अपने
अधिनियमों/नियमावलियों में तदविषयक आवश्यक संशोधन करते हुये शासनादेश संख्या—
520/ xxvii(1)/2009 दिनांक: 19 जुलाई, 2009 के अनुरूप प्रपत्र संख्या—43ए (1) 43ए
(2) को पुर्णस्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या—५९७/xxvii(1)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टैट बैंक, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड शासन।
8. क्लाइविल, उल्काष्ट्रोक्लन।

आज्ञा से,

(राधा स्तूडी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1


विषय:- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित प्रपत्र संख्या- 43ए को पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में धन कोषागार / बैंक में जमा किये जाने के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित चालान प्रपत्र संख्या-43ए प्रयोग में लाया जा रहा है।

2. शासकीय विभागों/कार्यालयों तथा कोषागारों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए चालान प्रपत्र संख्या- 43 ए को पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया गया। तदनुसार वर्तमान में प्रयोग में लाये जा रहे चालान प्रपत्र संख्या- 43ए के स्थान पर चालान प्रपत्र संख्या-43ए (1) तथा प्रपत्र संख्या- 43ए (2) को श्री राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार पुनरीक्षित चालान प्रपत्र संख्या-43ए (1) राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियाँ, लोक लेखा के अन्तर्गत पी.एल.ए. आदि से सम्बन्धित धन जमा किये जाने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। चालान प्रपत्र संख्या- 43ए (2) कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी से सम्बन्धित धनराशि जमा करने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।
3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित चालान प्रपत्रों के राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रण करने तथा प्रदेश के समस्त कोषागारों को भेजे जाने के कार्य का समन्वय निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड की देख-रेख में किया जाये। पुनरीक्षित चालान प्रपत्र प्रारम्भ में कोषागारों/उपकोषागारों में प्राप्त किये जा सकेंगे तथा आगे चलकर विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष राजकीय मुद्रणालय से चालान प्रपत्रों की आपूर्ति मांग पत्र भेजकर सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई होने पर निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून से सम्पर्क किया जा सकेगा।
4. उपरोक्त पुनरीक्षित चालान प्रपत्र संख्या- 43ए (1) तथा प्रपत्र 43ए (2) दिनांक 1 सितम्बर, 2009 से लागू होंगे और तब तक वर्तमान चालान प्रपत्र संख्या- 43ए का प्रयोग मान्य रहेगा।
5. कृपया उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाये। पुनरीक्षित चालान प्रपत्र के लागू किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय नियमों में आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव-वित्त।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार (नॉन बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा
 1 जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)
 या संस्था के नाम से धनराशि जमा की
 जा रही है उसका नाम
 2 पता

 3 पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम वाद संख्या
 (यदि आवश्यक हो)
 4 जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
 (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है
 तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
 5 चालान की सकल (gross) राशि
 6 चालान की निबल (net) राशि
 7 लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखाशीर्षक की मोहर
 8 लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

उप मुख्य शीर्षक लघु-शीर्षक

उप शीर्षक

व्यौरेवार-शीर्षक

धनराशि (अंको

में)

मुख्य लेखा

शीर्षक

धनराशि (शब्दों में) योग

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

--	--

--	--

--	--

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या अंको में रु.

--

दिनांक शब्दों में रु.

--

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार (नॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)

(धनराशि रूपयों में)

नोट / सिक्के

1000 X

500 X

100 X

50 X

20 X

10 X

5 X

2 X

1 X

चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

योग

टिप्पणी:-

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकर शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि ज करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित कर आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दि जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि ज की जायेगी।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2
प्रपत्र संख्या-43ए (2)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)
कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी से सम्बन्धित धनराशि जमा करने का चालान फार्म

	उपकोषागार (नॉन बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा																																																																
1	जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)																																																																
	या संस्था के नाम से धनराशि जमा की																																																																
	जा रही है उसका नाम																																																																
2	पता																																																																
3	पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)																																																																
4	जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, उस लेखा शीर्षक का विवरण जिसमें मूल अग्रिम आहरित किया गया था।)																																																																
5	चालान की सकल (gross) राशि																																																																
6	चालान की निबल (net) राशि																																																																
7	अवधि जिसकी वसूली की गई																																																																
8	मूल धनराशि																																																																
9	ब्याज धनराशि																																																																
10	किश्त संख्या																																																																
11	एस.एल.आर. (subsidiary loan register) संख्या																																																																
12	भुगतान का प्रकार																																																																
13	लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर																																																																
14	लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड																																																																
	मुख्य लेखा उप मुख्य शीर्षक लघु-शीर्षक शीर्षक																																																																
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																							<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>						

धनराशि (शब्दों में) योग [] [] []

चलान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थी

चालान संख्या अंको में रु

दिनांक शब्दों में रु.

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार (नॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)

नोट / सिक्के

1000 X

500 X

100 X

50 X

20 X

10 X

5 X

2 X

1 X

चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

३०८

(धनराशि रूपयों में)

टिप्पणी:-

- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा-शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूँजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
 - जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
 - यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

संख्या: ५२०७ वि xxvii (१) / २००९ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) माजरा देहरादून।
 2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 3. समस्त वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
 4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 5. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
 6. निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से

(राधा रत्नांशु)

सचिव, वित्त।